न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 48/2020

वादीगण :–

1. धापुकंवर पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मदनकंवर पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जयन्तीलाल पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
2. रमेश कुमार पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
3. ललीत कुमार पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
4. शान्तीलाल पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
5. मौकीदेवी पत्नी दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
6. बागाराम पुत्र हरजीराम जाति रबारी निवासी रमणीया
7. रिखबचन्द पुत्र सीरेमलजी जाति जैन निवासी रमणीया
8. डूंगरचन्द पुत्र सीरेमलजी जाति जैन निवासी रमणीया
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
10. शाखा प्रबन्धक बालोतरा सह.भूमि विकास बैंक शाखा सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण एकतरफा

दिनांकः– 05.01.2026

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88 व 188 के तहत पेश किया गया है वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के सामलाती सह. खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि मौजा रमणिया तहसील सिवाना में खसरा संख्या 770 रकबा 04.6296 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 रिखबचन्द डूंगरचन्द पिसरान सीरेमलजी कोम महाजन व श्रीश्रीमाल निवासी रमणीया तहसील सिवाना में उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा था जो दिनांक 24.01.2002 को उक्त 1/4 हिस्सा रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा किमतन प्रति बीघा दर रूपये 6000/– के हिसाब से कुल रूपये 42900/– में वादीगण को जरिये पंजीबद्ध विक्रेय विलेख बेचान कर दिया गया उसके बाद उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त [illegible] है, खसरा संख्या 770 रकबा 28.12 बीघा का पूर्व इन्द्राज [illegible] 2038 से 20[illegible] इस प्रकार रहा कि "भंवरसिंह उदयसिंह पिसरान भोपसिंह शिवसिंह [illegible] हिस्सा 1/[illegible]चन्द डूंगरचन्द पिसरान सीरेमलजी जाति श्रीमा[illegible]लीचन्द वल्द पूनमचन्द [illegible]/2 कौम महाजन दर्ज था, भंवरसिंह उदयसिंह पिसरान भोपसिंह,शिवसिंह वल्द जोरावरसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया तथा रिखबचन्द डूंगरचन्द पिसरान सीरेमल ने अपना 1/4 हिस्सा वादीगण को दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

24.01.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रेय विलेख बेचान कर दिया तथा शेष 1/4 हिस्सा वादीगण को दिनांक 24.01.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बेचान कर दिया शेष 1/4 हिस्सा दलीचन्द पुत्र प्रतापमल का रहा जिसके देहान्त के पश्चात उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का नाम दर्ज हुआ उक्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2060 दिनांक 28.03.2004 हल्का पटवारी द्वारा तकमील करते वक्त टाईप त्रुटि रिखबचन्द डूंगचन्द पिसरान सीरेमल जाति श्रीमाल जैन लिखा हुआ था वहां पर हल्का पटवारी ने श्रीमाल की जगह श्रीलाल वल्द प्रतापमल अंकित कर दिया तथा उसके आगे शान्तीलाल रमेश कुमार ललीत कुमार जयन्तीलाल पिसरान दलीचन्द माकीदेवी बेवा दलीचन्द हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया। उक्त त्रुटि के कारण दलीचन्द के पिता प्रतापमल के जो मात्र दलीचन्दजी एक ही पुत्र थे के स्थान पर दो पुत्र श्रीलाल व दलीचन्द लिख दिया गया यह त्रुटि आगे तक चलती रही तथा दलीचन्द का जहां 1/4 हिस्सा था वहां 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया जिससे वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से जो उनके विधिक हक हिस्से 1/4 हिस्सा खरीद किया था के स्थान पर 1/6 अंकित कर दिया। उक्त नाम व हिस्सा त्रुटि के सुधार हेतु वादीगण द्वारा उक्त दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिनी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादिनी साक्ष्य वादिनी स्वयं पी.डब्लयू 1 वादीनी धापूकंवर के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श 1 से 6 ए प्रदर्शित करवाये।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा रमणिया तहसील सिवाना में खसरा संख्या 770 रकबा 04.6296 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 रिखबचन्द डूंगरचन्द पिसरान सीरेमलजी कोम महाजन व श्रीश्रीमाल निवासी रमणीया तहसील सिवाना में उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा था जो दिनांक 24.01.2002 को उक्त 1/4 हिस्सा रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा किमतन प्रति बीघा दर रूपये 6000/- के हिसाब से कुल रूपये 42900/- में वादीगण को जरिये पंजीबद्ध विक्रय [illegible] कर दिया गया उसके बाद उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त [illegible] है, खसरा संख्या 770 रकबा 28.12 बीघा का संवत् 2035 से 2038 में [illegible] पिसरान भोपसिंह,शिवसिंह वल्द जोरावरसिंह हिस्सा 1/2, रिखब[illegible] डूंगरचन्द पिसरान सीरेमलजी जाति श्रीमाल,दलीचन्द वल्द पूनमचन्द हिस्सा 1/2 कौम महाजन दर्ज था, भंवरसिंह उदयसिंह पिसरान भोपसिंह,शिवसिंह वल्द जोरावरसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया तथा रिखबचन्द डूंगरचन्द पिसरान सीरेमल

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:47 IST
Reason: SelfAttested

ने अपना 1/4 हिस्सा वादीगण को दिनांक 24.01.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रेय विलेख बेचान कर दिया तथा शेष 1/4 हिस्सा वादीगण को दिनांक 24.01.2020 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बेचान कर दिया शेष 1/4 हिस्सा दलीचन्द पुत्र प्रतापमल का रहा जिसके देहान्त के पश्चात उनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का नाम दर्ज हुआ उक्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2060 दिनांक 28.03.2004 हल्का पटवारी द्वारा तकमील करते वक्त टाईप त्रुटि रिखबचन्द डूंगचन्द पिसरान सीरेमल जाति श्रीमाल जैन लिखा हुआ था वहां पर हल्का पटवारी ने श्रीमाल की जगह श्रीलाल वल्द प्रतापमल अंकित कर दिया तथा उसके आगे शान्तीलाल रमेश कुमार ललीत कुमार जयन्तीलाल पिसरान दलीचन्द माकीदेवी बेवा दलीचन्द हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया। उक्त त्रुटि के कारण दलीचन्द के पिता प्रतापमल के जो मात्र दलीचन्दजी एक ही पुत्र थे के स्थान पर दो पुत्र श्रीलाल व दलीचन्द लिख दिया गया यह त्रुटि आगे तक चलती रही तथा दलीचन्द का जहां 1/4 हिस्सा था वहां 1/3 हिस्सा अंकित कर दिया जिससे वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से जो उनके विधिक हक हिस्से 1/4 हिस्सा खरीद किया था के स्थान पर 1/6 अंकित कर दिया लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जकार राजस्व रेकर्ड में अंकित उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वादीगण का माफिक खरीद हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन व अध्ययन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया, प्रदर्श 3 ए ग्राम रमणिया की जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 में भंवरसिह उदयसिंह पि. भोपसिंह,शिवसिंह वल्द जोरावरसिंह हिस्सा 1/2 रिखबचंद डूंगरचन्द पि. सिरेमल श्रीमाल, दलीचन्द वल्द प्रतापमल 1/2 कौम महाजन सा.देह खातेदार इन्द्राज है,अर्थात वादग्रस्त भूमि में रिखबचन्द डूंगरचन्द पि. सिरेमल श्रीमाल का 1/4 हिस्सा व दलीचन्द वल्द प्रतापमल का 1/4 हिस्सा दर्ज था,प्रदर्श 4 ए ग्राम रमणिया की जमाबंदी संवत् 2039–2042 में पीराराम पुत्र प्रयागजी घांची मोकलसर 1/2 रिखबचंद पुत्र डूंगरराम पि. सिरेमल श्रीमाल दलीचन्द पुत्र प्रतापमल 1/2 कौम महाजन सा.देह खातेदार इन्द्राज है परन्तु प्रदर्श 5 ए ग्राम रमणिया की जमाबंदी संवत् 2060–2063 में वादग्रस्त भूमि में श्रीलाल पुत्र प्रतापमल दर्ज है प्रदर्श 3 ए व प्रदर्श 4 ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतापमल के एक जायंदा पुत्र दलीचन्द है राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने से श्रीलाल पुत्र प्रतापमल ,दलीचन्द पुत्र प्रतापमल व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/6–1/6 अंकित हो गया जबकि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा बनता है। तथा इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा बेचान किया गया है। प्रतिवादीगण का बावजूद सम्मन

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तामिल अनुपस्थित रहने प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृत प्रतीत होती है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रमणिया के खसरा संख्या 770 रकबा 04.6296 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण का 7 व 8 कानाम राजस्व रकर्ड से हटाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम पंजीबद्ध विक्रेय विलेख दिनांक 24.01.2002 के अनुसार दर्ज किया जाने का तथा वादग्रस्त आराजी में श्रीलाल पुत्र प्रतापराम का नाम विलोपित कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करना सुनिश्चित करे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे ।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगोरात)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीगण :–

1. धापुकंवर पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मदनकंवर पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी रमणीया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जयन्तीलाल पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
2. रमेश कुमार पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
3. ललीत कुमार पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
4. शान्तीलाल पुत्र दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
5. मौकीदेवी पत्नी दलीचन्द जाति जैन निवासी रमणीया
6. बागाराम पुत्र हरजीराम जाति रबारी निवासी रमणीया
7. रिखबचन्द पुत्र सीरेमलजी जाति जैन निवासी रमणीया
8. डूंगरचन्द पुत्र सीरेमलजी जाति जैन निवासी रमणीया
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
10. शाखा प्रबन्धक बालोतरा सह.भूमि विकास बैंक शाखा सिवाना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नंबर :–48 / 2020 **निर्णय दिनांक :–05.01.2026**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी मिनजानिव मुद्दई पेश होकर डिक्री दी जाती है वादीगण का वाद पत्र प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रमणिया के खसरा संख्या 770 रकबा 04.6296 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण का 7 व 8 का नाम राजस्व रकर्ड से हटाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम पंजीबद्ध विक्रेय विलेख दिनांक 24.01.2002 के अनुसार दर्ज किया जाने का तथा वादग्रस्त आराजी में श्रीलाल पुत्र प्रतापराम का नाम विलोपित कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करना सुनिश्चित करे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी बाधा उत्पन्न नहीं करे। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.01.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.07 12:42:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना